


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्याक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैंड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	हजारीलाल प्रधानाचार्य, बख्तावपुरा जिला श्रीगंगानगर	05-07-58	22-09-94 HM	21-09-14 20 Y	22-09-2014 II	15600-39100	6800
2	कादिर अहमद प्रधानाचार्य आदर्श अर्जुनसर-लूनकरणसर (बीकानेर)	15-06-63	27-09-95 Lect	26-09-15 20 Y	27-09-2015 II	15600-39100	6800
3	चम्पादेवी प्रधानाचार्य बरेव (नागौर)	02-05-61	04-11-95 Lect	03-11-15 20 Y	04-11-2015 II	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।


(नथमल डिडेल)

आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक 12/11/18

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/बो-2/2017-18

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी() /नियन्त्रण अधिकारी
2. संबंधित संस्था प्रधान
3. संबंधित अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर